केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख Date on which Application is made for copy accompained by the requisite stamps	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख Date of posting notice of notice board	नकल वापिस दिये जाने तारीख Date of delivery of copy.	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर Signature of official delivering copy.
13652 / 29.06.2022	01.07.2022	01.07.2022	[signature] 01.07.2022

राजस्व अभिलेखागार कलेक्ट्रेट अयोध्या

नकल आदेश दि० 15.09.2015 द्वारा पारित उप जिलाधिकारी सदर -अयोध्या व उन्वान मु० संजय कुमार वर्मा आदि V/S सरकार मु० नं० 06065/2015, धारा-143 ता० फै० - 15.09.2015 ग्राम-धा परगना- अमसिन तह०-सदर जि०-अयोध्या ।

आदेश की छायाप्रति संलग्न

[signature]

President/Manager
Thakur Dei Educational & Charitable Trust
Dharupur, Khemapur, Faizabad, U.P.

9/1/23
5:52 PM

आदेश पत्रक

न्यायालय : उप जिलाधिकारी
मण्डल:फैजाबाद, जनपद:फैजाबाद, तहसील:सदर
वाद संख्या : 06065 / 2015
संजय कुमार वर्मा आदि बनाम सरकार
अन्तर्गत धारा –143 ज0वि0अधि0, उत्तर प्रदेश

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही वादी गण संजय कुमार वर्मा, अजय वर्मा, मनीराम वर्मा पुत्र गण स्व0 रंजीत वर्मा व श्रीमती शीला देवी पत्नी स्व0 रंजीत वर्मा तथा मंशा राम वर्मा, विद्यासागर वर्मा, प्रेम वर्मा पुत्र गण स्व0 राम लौट वर्मा निवासी ग्राम–धारुपुर, परगना–अमसिन, तहसील–सदर, जनपद–फैजाबाद के द्वारा जमींदारी भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–143 के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दिया गया है कि प्रार्थी गण ग्राम–धारुपुर, परगना–अमसिन, तहसील–सदर, जनपद–फैजाबाद के गाटा संख्या–134 / 1.6520 हे0 में से 0.9637 हे0 संक्रमणीय भूमिधर है। सम्बन्धित आराजी का प्रयोग अकृषिक [illegible] है। प्रश्नगत भूखण्ड का लेखपाल के साथ फोटो पत्रावली में संलग्न है। ऐसी स्थिति मे सम्बन्धित आराजी को गैर कृषिक प्रयोजन अंकित किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार सदर से जांच करायी गयी। निर्धारित प्रारुप पर प्रस्तुत क्षेत्रीय लेखपाल / राजस्व निरीक्षक की आख्या को अकृषिक दर्ज किये जाने हेतु तहसीलदार सदर द्वारा संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया है। क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक की आख्या से स्पष्ट है कि ग्राम–धारुपुर, परगना–अमसिन, तहसील–सदर, के गाटा संख्या–134 / 1.6520 हे0 में वादी गण के नाम संक्रमणीय भूमिधर अंकित है। तहसलीदार द्वारा प्रस्तुत आख्या से स्पष्ट है कि वादी गण द्वारा गाटा संख्या–134 / 1.6520 हे0 में से 0.9637 हे0 का प्रयोग अकृषिक रूप में किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रार्थित आराजी जो ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत गैर कृषिक प्रयोजन घोषित किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम–धारुपुर, परगना–अमसिन, तहसील–सदर, जनपद–फैजाबाद, के खतौनी वर्ष–1422–1427 फसली के खाता संख्या–129 के गाटा संख्या–134 / 1.6520 हे0 में से रकबा 0.9637 हे0 संजय कुमार वर्मा, अजय वर्मा, मनीराम वर्मा पुत्र गण स्व0 रंजीत वर्मा व श्रीमती शीला देवी पत्नी स्व0 रजीत वर्मा तथा मंशा राम वर्मा, विद्यासागर वर्मा, प्रेम वर्मा पुत्र गण स्व0 राम लौट वर्मा निवासी ग्राम–धारुपुर, परगना–अमसिन, तहसील–सदर, जनपद–फैजाबाद, के नाम गैर कृषिक प्रयोजन यानी कृषि कार्य से इतर घोषित किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति उप निबन्धक सदर, फैजाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। तद्नुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

President/Manager
Thakur Dei Educational & Charitable Trust
Dhanupur, Khemapur, Faizabad, U.P.

उप जिलाधिकारी,
सदर, फैजाबाद
15-9-2015

नकल तैयार कर्ता
नकल मिलान कर्ता Aman
शब्द [illegible]-250

राजस्व अभिलेखागार – अयोध्या
सत्य प्रतिलिपि
राजस्व अभिलेखपाल–अयोध्या
दिनांक........

9/1/23
5:52 PM